तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सोहन लाल जाखड़** **बनाम** **लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण), जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353327011902254	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/06/26	अपीलार्थी सोहन लाल जाखड़ निवासी जाखड़ो की ढ़ाणी नारवा, जोधपुर ने द्वारा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण) को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 15.04.2026 दिनांक 12.04.2026 को एक शिकायत उनकी ईमेल sohanlaljakhar860@gmail-com के माध्यम से dm-jod-rj@nic-in, rajjod@nic-in पर प्रेषित की गई थी, जिसका विषय–"Urgent Complaint– Illegal Delay in Case No- 2025/220 (Section 177 Rajasthan Tenancy Act) & Ongoing Illegal Land Use" उक्त शिकायत पर की गई कार्यवाही के संबंध मे सूचना व अन्य विविध सूचना के लिए प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, जोधपुर	

RajKaj Ref No.:
22737989
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Alok Ranjan
Designation: Collector and District Magistrate
Date: 2026.06.09 12:23:37 IST
Reason: Approved